दिनांक 28 सितम्बर, 2020 को सम्पन्न कार्य परिषद की बैठक संख्या 4/2020 की कार्यवाही

उपस्थिति

1. प्रो0 आलोक कुमार राय, कुलपति —अध्यक्ष
2. प्रो0 सी0पी0 सिंह, अधिष्ठाता, विधि संकाय —सदस्य
3. श्री आलोक कुमार, अधिष्ठाता, ललित कला संकाय —सदस्य
4. प्रो0 कविराज —सदस्य
5. प्रो0 नन्द लाल भारती —सदस्य
6. प्रो0 संगीता रानी —सदस्य
7. प्रो0 मो0 सिराजुद्दीन —सदस्य
8. प्रो0 बी0के0 शुक्ला —सदस्य
9. प्रो0 विभूति राय —सदस्य
10. डॉ0 महेन्द्र कुमार —सदस्य
11. डॉ0 मीनाक्षी पहवा —सदस्य
12. डॉ0 कामना श्रीवास्तव (उपस्थिति ई—माध्यम) —सदस्य
13. डॉ0 अमृता श्रीवास्तव —सदस्य
14. डॉ धरम कौर —सदस्य
15. प्रो0 एस0के0 द्विवेदी —सदस्य
16. श्री अनिल सिंह —सदस्य
17. जस्टिस श्री वी0के0 दीक्षित (से0नि0) (उपस्थिति ई—माध्यम) —सदस्य
18. डॉ0 विनोद कुमार सिंह, कुल सचिव —सचिव

बैठक में श्री संजय श्रीवास्तव, वित्त अधिकारी एवं प्रो0 आनन्द मुरारी सक्सेना, परीक्षा नियन्त्रक लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ भी उपस्थित रहें।

बैठक के आरम्भ में अध्यक्ष/कुलपति द्वारा सभी माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया एवं विश्वविद्यालय में कोरोना काल में हुई प्रगति से सदन को अवगत कराया। जिसके पश्चात कुलसचिव/सचिव कार्य परिषद द्वारा सदन में उपस्थित नवागत सदस्य प्रो0 सी0पी0 सिंह, संकायाध्यक्ष, विधि संकाय का स्वागत किया तथा निर्वतमान कार्य परिषद की सदस्य प्रो0 आर0के0 माहेश्वरी, संकायाध्यक्ष, वाणिज्य संकाय का उनके कार्य काल समाप्त होने पर कार्य परिषद सदस्य के रूप में दिये गये सहयोग एवं योगदान के प्रति आभार व्यक्त किया गया।

बैठक के आरम्भ में कार्य परिषद के मा0 सदस्य प्रो0 एस0के0 द्विवेदी द्वारा दिनांक 27.05.2020 की बैठक विश्वविद्यालय में पूर्व से वेतनमान पर कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री कमलेश कुमार वर्मा,राजेन्द्र प्रसाद बाजपेयी एवं श्री राजेश कुमार के संवर्ग परिवर्तन के संबंध में अब तक की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में जानकारी माँगी जिस पर सचिव कार्य परिषद द्वारा अवगत कराया गया कि प्रकरण पर कार्यवाही की जा रही है, यथाशीघ्र निस्तारित कर सदन सूचित कर दिया जायेगा।

कार्य परिषद के सदस्य प्रो0 एस0के0 द्विवेदी एवं श्री अनिल सिंह ने कोरोना महामारी के दौर में भी विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा शैक्षिक गतिविधियों के उत्थान के लिये की गयी कार्यवाहियों पर प्रशंसा प्रस्ताव रखते हुये माननीय कुलपति जी से इन गतिविधियों पर संक्षिप्त जानकारी देने का अनुरोध किया, जिस पर माननीय कुलपति जी द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा कृत कार्यवाहियों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया, जिससे कार्य परिषद अवगत हुयी। तत्पश्चात माननीय कुलपति जी के निदेशानुसार कुलसचिव महोदय ने कार्य परिषद की कार्यवाही प्रारम्भ की।

विनिश्चय संख्या 01:–कार्य परिषद (संख्या 02/2020) की बैठक दिनांक 27.05.2020 एवं आकस्मिक (संख्या 03/2020) बैठक दिनांक 15.07.2020 की कार्यवाही की पुष्टि हेतु मा0 परिषद के समक्ष प्रस्तुत।

कार्य परिषद की बैठक (संख्या 02/2020) दिनांक 27.05.2020 एवं आकस्मिक (संख्या 03/2020) बैठक दिनांक 15.07.2020 की कार्यवाही पर सदन द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 02:–कार्य परिषद (संख्या 02/2020) की बैठक दिनांक 27.05.2020 एवं आकस्मिक (संख्या 03/2020) बैठक दिनांक 15.07.2020 की कृत कार्यवाही मा0 परिषद के समक्ष अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

कार्य परिषद की बैठक (संख्या 02/2020) दिनांक 27.05.2020 एवं आकस्मिक बैठक (संख्या 03/2020) दिनांक 15.07.2020 की कृत कार्यवाही पर सदन द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 03:–मा0 सदस्य कार्य परिषद प्रो0 एस0.के0 द्विवेदी द्वारा कार्य परिषद की बैठक दिनांक 27.05.2020 एवं आकस्मिक बैठक दिनांक 15.07.2020 की सम्पन्न कार्य परिषद की बैठक में निम्न आंशिक संशोधनों को संशोधित कर पढ़ा जायः–

1. दिनांक 15.07.2020 को सम्पन्न कार्य परिषद की बैठक में अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कार्यसूची में विनिश्चय संख्या 2 पर प्रस्ताव प्रो0 एस0के0 द्विवेदी, सदस्य कार्य परिषद द्वारा प्रस्तुत किया गया को सम्मिलित करते हुए संशोधित पढ़ा एवं समझा जाय।
2. दिनांक 27.05.2020 की सम्पन्न कार्य परिषद के कार्यवृत्त के विनिश्चय संख्या 05 के अन्तर्गत बिन्दु संख्या 02 पर अंकित निर्णय में श्री राजेश कुमार, परिचर के नाम को भी सम्मिलित करते हुए संशोधित पढा एवं समझा जाय।

सदन द्वारा उपरोक्तानुसार संशोधन स्वीकार किया गया।

विनिश्चय संख्या 04:–विद्या परिषद की ई–माध्यम द्वारा दिनांक 22.07.2020 को सम्पन्न बैठक (संख्या 01/2020) एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के कियान्वयन के अनुपालन में परिसंचरण के माध्यम से दिनांक 21.09.2020 को सम्पन्न विद्या परिषद की बैठक (संख्या 02/2020) की कार्यवाही पुष्टि हेतु मा0 परिषद के समक्ष प्रस्तुत।

कार्य परिषद द्वारा दिनांक 22.07.2020 को ई–माध्यम एवं दिनांक 21.09.2020 को परिसंचरण के माध्यम से सम्पन्न विद्या परिषद की कार्यवाही पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 05:–वित्त समिति की दिनांक 31.08.2020 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त पुष्टि हेतु मा0 परिषद के समक्ष प्रस्तुत।

मा0 कार्य परिषद द्वारा सम्पुष्टि की गयी।

विनिश्चय संख्या 06:–प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 03.10.2019 एवं ई–माध्यम से सम्पन्न दिनांक 02.08.2020 के कार्यवृत्त पुष्टि हेतु मा0 परिषद के समक्ष प्रस्तुत।

मा0 कार्य परिषद द्वारा सम्पुष्टि की गयी।

विनिश्चय संख्या 07:–विद्या परिषद की बैठक दिनांक 22.07.2020 के विनिश्चय संख्या 12 में लखनऊ विश्वविद्यालय शोध अध्यादेश 2020 के प्रारूप को अनुमोदित करते हुए अध्यादेश में लिपिकीय/टंकण त्रुटियों के निवारण हेतु ड्राफ्टिंग कमेटी के गठन सम्बन्धी अनुमोदन पर मा0 कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में गठित त्रिसदस्यीय ड्राफ्टिंग कमेटी की रिपोर्ट/संस्तुति मा0 परिषद के सम्मुख विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

मा0 कार्य परिषद द्वारा प्रस्तुत ड्राफ्ट पर सम्यक विचार विमर्श के उपरान्त अंशकालिक शोध (Part time Ph.D) में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grant Commission) द्वारा निर्धारित अर्हता रखने के साथ ड्राफ्ट पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 08:–लखनऊ विश्वविद्यालय में डी0 लिट/डी0एस0सी/एल0एल0डी0 अध्यादेश–2020 ड्राफ्टिंग हेतु गठित त्रिसदस्यीय ड्राफ्टिंग कमेटी की रिपोर्ट/संस्तुति मा0 परिषद के सम्मुख विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

मा0 कार्य परिषद द्वारा प्रस्तुत ड्राफ्ट के सम्यक अवलोकन के उपरान्त D.Litt Submission की न्यूनतम–अधिकतम अवधि को 2–3 वर्ष के स्थान पर 1–2 वर्ष करते हुये सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 09:–निदेशक, काउन्सिलिंग एण्ड प्लेसमेंट सेल, लखनऊ विश्वविद्यालय के पत्र संख्या 111/सी0पी0सी0/2020 दिनांक 13.07.2020 जो सी0पी0सी0 के नाम को परिवर्तित करते हुए उसके स्थान पर Central Placement Cell किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव मा0 परिषद के सम्मुख विचारार्थ/अवलोकनार्थ प्रस्तुत।

मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 10:–कार्य परिषद की बैठक दिनांक 20.03.2020 के विनिश्चय संख्या 15 के अर्न्तगत मा0 उच्च न्यायालय में योजित वाद पी0आई0एल0 सिविल संख्याः 19390 आफ 2018 को विश्वविद्यालय हित में लागू किये जाने योग्य विषयों के सम्बन्ध गठित त्रिसदस्यीय समिति की दिनांक 09.06.2020 को सम्पन्न बैठक की संस्तुति मा0 परिषद के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत।

मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 11:–कार्यालय द्वारा प्रस्तुत टीप जो लखनऊ विश्वविद्यालय के गणित एवं खगोल शास्त्र विभाग में कार्यरत प्रो0 प्रवीण नागर द्वारा स्वास्थ सम्बन्धी समस्याओं एवं पारिवारिक कारणों से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान करने के सम्बन्ध में प्रस्तुत पत्र संख्याः 177/07/एम/20 दिनांक 12.07.2020 मा0 परिषद के सम्मुख विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत।

प्रो0 प्रवीण नागर, गणित एवं खगोलशास्त्र के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (Voluntary Retirement) के अनुरोध पर सदन द्वारा समग्र विचारोपरान्त प्रो0 प्रवीण नागर, को दिनांक 15.10.2020 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (Voluntary Retirement) प्रदान किये जाने पर सदन द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 12:—कार्यालय द्वारा प्रस्तुत टीप जो प्रो0 अनिल कुमार शुक्ला, कुलपति, महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली के पत्र सं0 आर0यू0/वी0सी0/2020/381 दिनांक 23.07 .2020 के क्रम में लखनऊ विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली के संशोधित परिनियम 15.19 एवं शासनादेश दिनांक 25.07.2018 में वर्णित प्राविधानों के अनुसार प्रो0 अनिल कुमार शुक्ला को दिनांक 25.07.2020 से दिनांक 17.08.2020 तक वेतनरहित असाधारण अवकाश विस्तारित करने सम्बन्धी प्रकरण परिषद के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत।

मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 13:—लखनऊ विश्वविद्यालय के केन्द्रीय लेखा कार्यालय द्वारा प्रस्तुत टीप जो डॉ0 श्रुति, एसोशिएट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग को निदेशक, उच्च शिक्षा इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के पत्रांक डिग्री अर्थ—02/आयोग/1 128—29/2016—17 दिनांक 16.01.2017 के क्रम में विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि यथा 30.03.2011 के मूल वेतन रू0 30700/—(रू0 15600—39100 ग्रेड—पे 8000) वेतन संरक्षित करने हेतु उ0 प्र0 शासन को पत्र प्रेषित किये जाने सम्बन्धी प्रकरण मा0 परिषद के सम्मुख विचारार्थ/निणयार्थ प्रस्तुत।

मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 14:—विकलांग कर्मचारियों को विकलांग वाहन भत्ता प्रदान किये जाने सम्बन्धी उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या:06/2019/जी2—531/दस—2019 दिनांक 22.08.2019 को विश्वविद्यालय में लागू किये जाने सम्बन्धी कार्यालय टीप मा0 परिषद के सम्मुख विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 15:—कार्य परिषद की बैठक दिनांक 28.11.2019 में डॉ0 कविता चतुर्वेदी के प्रकरण से सम्बन्धित कार्यवृत्ति चर्चा के अनुसार तैयार न किये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायत पर कार्य परिषद की बैठक दिनांक 20.03.2020 में लिये गये निर्णय के आलोक में प्रकरण की जॉच हेतु गठित त्रिसदस्यीय समिति की रिपोर्ट/आख्या (सील सील बन्द लिफाफा) मा0 परिषद के सम्मुख विचारार्थ/अवलोकनार्थ प्रस्तुत।

सदन के समक्ष बन्द लिफाफे में त्रिसदस्यीय समिति की संस्तुति कार्य परिषद के समक्ष प्रस्तुत की गयी। कार्य परिषद के निर्देश पर बन्द लिफाफा खोला गया। परिषद के समक्ष त्रिसदस्यीय समिति की संस्तुति प्रस्तुत की गयी जो निम्नवत हैं :—

"समिति द्वारा व्यापक विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि कार्य परिषद की आगामी बैठक में माननीय न्यायमूर्ति प्रत्यूष कुमार की रिपोर्ट सदन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत की जाये जिससे प्रकरण पर न्यायोचित निर्णय लिया जा सके।"

तद्क्रम में मा0 परिषद के समक्ष न्यायमूर्ति प्रत्यूष कुमार की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी, जिससे परिषद अवगत हुयी।

विनिश्चय संख्या 16:—डॉ0 चन्द्रसेन प्रताप सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, विधि विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय में दिनांक 25.05.2016 के पूर्वान्ह् में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पूर्व राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर, जिला–सरगुजा, छ0ग0 में दिनांक 03.12.2012 से 24.05.2016 तक प्रवक्ता, विधि के पद पर की गयी कुल सेवा अवधि 03 वर्ष 05 माह 22 दिन की आधी सेवा अवधि 01 वर्ष 08 माह 26 दिन अर्थात 29.08.2014 से लखनऊ विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली 18.05(डी) में वर्णित व्यवस्था के अन्तर्गत विधि विभाग में विभागीय वरिष्ठता निर्धारित करने सम्बन्धी कार्यालय टीप मा0 परिषद के सम्मुख विचारार्थ/अवलोकनार्थ प्रस्तुत।

मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 17:—लखनऊ विश्वविद्यालय के कला, विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा एवं विधि संकाय में अध्ययनरत 08 शोध छात्रों को शोध उपाधि प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में निर्गत आदेश संख्या रिसर्च 03/2020 दिनांक 18.06.2020 मा0 परिषद के सम्मुख संज्ञानार्थ प्रस्तुत।

मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए भविष्य में इस प्रकार के प्रकरण पर निर्णय हेतु अध्यक्ष कार्य परिषद/कुलपति को अधिकृत किया गया।

विनिश्चय संख्या 18:—इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग, अभियान्त्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय (स्ववित्तपोषित) में असिस्टेंट प्रोफेसर (संविदा) के पद पर कार्यरत इ0 रमन देवेश, असिस्टेंट प्रोफेसर का चयन राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान, गुरूग्राम, हरियाणा में Executive Assistant-I (Tech) के पद पर होने के फलस्वरूप इ0 रमन देवेश, द्वारा प्रस्तुत त्यागपत्र पर मा0 कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त निर्गत पत्र संख्या टी–12317–18 दिनांक 17.08.2020 मा0 परिषद के सम्मुख अवलोकनार्थ प्रस्तुत।

इं0 रमन देवेश, असिस्टेंट प्रोफेसर, (संविदा) इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग, अभियान्त्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय (स्ववित्तपोषित) के त्याग पत्र पर मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 19:—मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग, अभियान्त्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय (स्ववित्तपोषित) में असिस्टेंट प्रोफेसर (संविदा) के पद पर कार्यरत डॉ0 अंकित त्यागी, असिस्टेंट प्रोफेसर का चयन उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन, लिमिटेड, लखनऊ में सहायक अभियन्ता के पद पर होने के फलस्वरूप डॉ0 अंकित त्यागी, द्वारा प्रस्तुत त्यागपत्र पर मा0 कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त निर्गत पत्र संख्या टी–12320–21 दिनांक 17.08.2020 मा0 परिषद के सम्मुख अवलोकनार्थ प्रस्तुत।

डॉ0 अंकित त्यागी, असिस्टेंट प्रोफेसर, (संविदा) मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग, अभियान्त्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय (स्ववित्तपोषित) के त्याग पत्र पर मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 20:—दिनांक 20.03.2020 को सम्पन्न कार्य परिषद के विनिश्चय संख्या 18 पर डॉ0 सुकान्त कुमार चौधरी के विरूद्व गठित अनुशासनिक समिति की जॉच रिपोर्ट पर कार्य परिषद के निर्णय के अनुपालन में मा0 कुलपति महोदय के आदेशानुसार गठित समिति की जॉच आख्या (सील बन्द लिफाफा) मा0 परिषद के सम्मुख विचारार्थ/अवलोकनार्थ प्रस्तुत।

सचिव कार्यपरिषद द्वारा सदन के समक्ष प्रकरण पर गठित त्रिसदस्यी समिति की जॉच आख्या का सील बन्द लिफाफा खोला गया जिसमे समिति द्वारा प्रकरण पर निम्नलिखित अभिमत दिया गया है:— प्रकरण से सम्बन्धित परीक्षणोपरान्त विधिक राय लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि परामर्शी से लेना उचित होगा। चूँकि इस प्रकरण से सम्बन्धित परीक्षण एवं निर्णय कुलाधिपति तथा विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी के द्वारा पूर्व में ही लिया जा चुका है जिसमे माननीय तत्कालीन कुलपति स्वयं कार्यकारिणी परिषद् के अध्यक्ष भी थे। समिति के उक्त अभिमत पर सदन द्वारा व्यापक चर्चोपरान्त सम्बन्धित प्रकरण पर विश्वविद्यालय अधिवक्ता से विधिक राय प्राप्त करने का निर्णय लिया गया।

विनिश्चय संख्या 21:—विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यालयों/विभागों में नियत वेतन पर कार्यरत ऐसे कर्मचारी जिनका 11—11 माह का सेवाविस्तार किया जाता है का उनके नाम के सम्मुख अंकित सेवाविस्तार समाप्ति तिथि से पूर्व की भॉति सेवा विस्तार किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव मा0 कार्य परिषद के सम्मुख विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत।

मा0 कार्य परिषद द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय के शिक्षणेत्तर अनुभाग द्वारा प्रस्तुत कार्यालय टीप के अनुसार पूर्व में कार्य परिषद द्वारा 11 माह हेतु स्वीकृत क्रमांक 01 के अनुसार 46, क्रमांक 02 के अनुसार 18, क्रमांक 03 के अनुसार 07, क्रमांक 04 के अनुसार 23, एवं क्रमांक 05 के अनुसार 06 कर्मचारियों को पूर्व निर्णय के अनुसार पूर्व में किये गये कार्य का वेतन स्वीकृत करते हुये पत्र निर्गत की तिथि से 11 माह का सेवा विस्तार किये जाने पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 22:—सत्र 2020—21 हेतु अस्थायी मान्यता प्रदान किये जाने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा मुमताज पी0जी0 कालेज पर लगाये गये रू0 एक लाख अर्थ दण्ड पर पुर्नविचार हेतु श्री अनिल सिंह, मा0 कार्य परिषद सदस्य का पत्र मा0 कार्य परिषद के सम्मुख विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत।

मा0 कार्य परिषद द्वारा प्रकरण पर व्यापक विचार विमर्श के उपरान्त परिषद के पूर्व निर्णय को यथावत रखते हुए अर्थ दण्ड माफ करने का प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

विनिश्चय संख्या 23:—सरदार भगत सिंह कालेज आफ हायर एजूकेशन, लखनऊ में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत पूर्व से संचालित बी0ए0 पाठ्यक्रम की अस्थायी सहयुक्तता सत्र 2020—21 के लिये रू0 एक लाख अर्थ दण्ड के साथ विस्तारित किये जाने के निर्णय पर अर्थ दण्ड माफ करने हेतु पुर्नविचार हेतु प्रबन्धक, सरदार भगत सिंह कालेज आफ हायर एजूकेशन, लखनऊ का प्रार्थना पत्र मा0 कार्य परिषद के सम्मुख विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत।

मा0 कार्य परिषद द्वारा प्रकरण पर व्यापक विचार विमर्श के उपरान्त परिषद के पूर्व निर्णय को यथावत रखते हुए अर्थ दण्ड माफ करने का प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

विनिश्चय संख्या 24:—नगर निगम डिग्री कालेज इस्माइलगंज, लखनऊ में पूर्व से संचालित बी0ए0 एवं बी0 कॉम पाठ्यक्रमों की अस्थायी सहयुक्तता सत्र 2020–21 के लिये रू0 एक लाख अर्थ दण्ड के साथ विस्तारित किये जाने के निर्णय पर पुर्नविचार हेतु नगर आयुक्त/प्रबन्धक, नगर निगम डिग्री कालेज इस्माइलगंज, लखनऊ का प्रार्थना पत्र मा0 कार्य परिषद के सम्मुख विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत।

मा0 कार्य परिषद द्वारा प्रकरण पर व्यापक विचार विमर्श के उपरान्त परिषद के पूर्व निर्णय को यथावत रखते हुए अर्थ दण्ड माफ करने का प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

विनिश्चय संख्या 25:—दिनांक 28.11.2019 को सम्पन्न कार्य परिषद की बैठक में मा0 कुलपति/अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रस्तुत कार्यसूची के मद संख्या 07 के क्रम में प्रो0 एस0पी0 सिंह, पूर्व कुलपति लखनऊ विश्वविद्यालय, के विरूद्व गठित जॉच समिति के औचित्य पर महामहिम कुलाधिपति/राज्यपाल महोदया सचिवालय द्वारा अपने पत्र संख्या ई–3097/5–जी0एस0/2019 XV दिनांक 16.07.2020, पत्र संख्या ई–4222/5–जी0एस0/2019 XV दिनांक 04.08.2020 द्वारा उक्त प्रकरण यह जानने की पृच्छा कि जॉच समिति का गठन/कार्यवाही किस नियम/परिनियम के अर्न्तगत है। इस सम्बन्ध में मा0 राजभवन को प्रेषित पत्र संख्या आर/1201/20 दिनांक 28.08.2020 मा0 परिषद के सम्मुख अवलोकनार्थ/विचारार्थ प्रस्तुत।

प्रकरण पर सदन द्वारा व्यापक चर्चोपरान्त विश्वविद्यालय अधिनियम एवं परिनियम में इस संबंध किसी प्रकार प्राविधान न होने के कारण प्रो0 एस0पी0 सिंह के सम्बन्ध में पूर्व में की गयी कार्यवाही को शून्य मानते हुए प्रकरण को निक्षेपित/शून्य करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

विनिश्चय संख्या 26:—प्रदेश के समस्त राजकीय, विश्वविद्यालयों में डिजिटल इंफारट्रक्चर, ई लर्निंग रिसोर्सेज, डिजिटल लाइब्रेरी, विडियों लेक्चर के रिकार्डिंग के लिए सुसज्जित स्टूडियो इत्यादि अवस्थापना सुविधाएं विकसित करने के उद्‌देश्य से उ0प्र0 विश्वविद्यालय विकास संगठन सोसाइटी के गठन के संबंध में श्री राज्यपाल/ कुलाधिपति के पत्र संख्या ई–2758/जी0एस0 दिनांक 24 अगस्त, 2020 के अनुपालन में उ0प्र0 विश्वविद्यालय विकास संगठन सोसाइटी की सदस्यता प्राप्त करने सम्बन्धी प्रस्ताव मा0 परिषद के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत।

मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

पूरक कार्यसूची (04/2020)

विनिश्चय संख्या 01:—Governing the award of PG (CBCS based) Ordinances 2020 मा0 परिषद के सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

मा0 कार्य परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 02:—Governing the award of Certificate, Diploma and PG Diploma Ordinances 2020 मा0 परिषद के सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

मा0 कार्य परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 03:–लखनऊ विश्वविद्यालय में Integrated Ph.D (i-Ph.D) ordinance 2020 के संबंध में गठित त्रिसदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट/संस्तुति मा० परिषद के सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

मा० कार्य परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 04:–Proposal for Counselling and Guidance मा० परिषद के सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

मा० कार्य परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 05:–समाज कार्य विभाग में संचालित पं० दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ, का Programmes & Estimated expenditure Approval का प्रस्ताव मा० परिषद के सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

मा० कार्य परिषद द्वारा नियमावली में वर्णित प्रावधानों की ड्राफ्टिंग में कुछ संशोधन सुझाए गए। कार्य परिषद ने यह भी निर्णय लिया कि पीठ के कार्यो की समीक्षा एवं अनुश्रवण मा० कुलपति द्वारा किया जायेगा तथा कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर मा० कुलपति द्वारा समन्वयक को हटाकर किसी अन्य समन्वयक की नियुक्ति की जाएगी। उक्त संशोधनों के साथ कार्य परिषद ने नियमावली को अनुमोदन प्रदान किया।

विनिश्चय संख्या 06:–भाउरस देवरस शोध पीठ की नियमावली तथा बजट प्रस्ताव प्रारूप निर्धारण के सम्बन्ध में गठित समिति की बैठक दिनांक 25.09.2020 का कार्यवृत्त परिषद के सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

मा० कार्य परिषद द्वारा नियमावली में वर्णित प्रावधानों की ड्राफ्टिंग में कुछ संशोधन सुझाए गए। कार्य परिषद ने यह भी निर्णय लिया कि पीठ के कार्यो की समीक्षा एवं अनुश्रवण मा० कुलपति द्वारा किया जायेगा तथा कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर मा० कुलपति द्वारा समन्वयक को हटाकर किसी अन्य समन्वयक की नियुक्ति की जाएगी। उक्त संशोधनों के साथ कार्य परिषद ने नियमावली को अनुमोदन प्रदान किया।

विनिश्चय संख्या 07:–लखनऊ विश्वविद्यालय का परीक्षा सम्बन्धी मैनुअल बनाये जाने के सम्बन्ध में गठित समिति द्वारा प्रस्तुत परीक्षा सम्बन्धी मैनुवल परिषद के सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

मा० कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 08:–कोविड–19 के दृष्टिगत महाविद्यालयों/संस्थानों की दिनांक 01.07.2020 से आगामी 01 वर्ष के लिये अस्थायी सहयुक्तता विस्तारण के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्याः–662/सत्तर–2–2020–16(165)/2012टी.सी. दिनांक 28 अगस्त, परिषद के सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

मा० कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 09:–श्री रतन कुमार श्रीवास्तव, एडवोकेट प्रयागराज द्वारा प्रो० शीला मिश्रा को आन्तरिक शिकायत प्रकोष्ठ का अध्यक्ष नियुक्त किये के विरूद्व माननीय प्रधान मन्त्री भारत सरकार को प्रेषित शिकायती पत्र मा० परिषद के सम्मुख अवलोकनार्थ/विचारार्थ प्रस्तुत।

सदन द्वारा संदर्भित पत्र का अवलोकन किया गया तथा उसे सारहीन मानते हुए निक्षेपित करने का निर्णय लिया गया।

विनिश्चय संख्या 10:—कला एवं शिल्प महाविद्यालय के बी0वी0ए0 प्रथम वर्ष सत्र 2019–20 में निर्धारित आयु 21 वर्ष से अधिक के अभ्यर्थियों प्रवेश सम्बन्धी प्रकरण को निस्तारित किये जाने हेतु गठित त्रिसदस्यी समिति की दिनांक 14.09.2020 को सम्पन्न बैठक की संस्तुति/आख्या मा0 परिषद के सम्मुख अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 11:—प्रो0 यू0एन0 द्विवेदी, जैव–रसायन विभाग द्वारा (सेवानिवृत्ति तिथि 30.09.2020) 30 जून, 2021 तक सत्रांत लाभ प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र परिषद के सम्मुख अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

सदन द्वारा विस्तृत विचारोपरान्त प्रकरण पर अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा अनुभाग–1 उत्तर प्रदेश शासन को प्रेषित पत्र के प्रत्युत्तर में प्राप्त दिशानिर्देश की अधीन प्रो0 यू0एन0 द्विवेदी, जैव रसायन विभाग को दिनांक 01.10.2020 से दिनांक 30.06.2021 तक संत्रात लाभ दिये जाने का निर्णय लिया गया।

विनिश्चय संख्या 12:—जीव विज्ञान विभाग में डॉ0 एस0पी0 त्रिवेदी, डॉ0 सुधीर कुमार एवं 03 अन्य के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में विचार हेतु मा0 परिषद के सम्मुख प्रस्तुत।

कार्य परिषद की बैठक दिनांक 20.03.2020 के मद संख्या 12 पर लिये गये निर्णय के क्रम में माननीय कुलाधिपति, लखनऊ विश्वविद्यालय, राजभवन, लखनऊ के पत्र दिनांक 16.07.2020 को परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। परिषद ने माननीय कुलाधिपति, लखनऊ विश्वविद्यालय, राजभवन, लखनऊ के पत्र व माननीय उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या 743(एस0बी0) ऑफ 2007 डॉ0 सुनील प्रकाश त्रिवेदी बनाम कुलाधिपति व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.11.2019 के अनुपालन में निम्न निर्णय लिया:—

1. **डॉ0 सुनील कुमार त्रिवेदी, प्रोफेसर, जन्तु विज्ञान विभाग को अर्हता की तिथि यथा 17.05.2008 से आचार्य पद नाम स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।**
2. **कैरियर एडवान्समेंट योजना के अर्न्तगत प्रोफेसर पद पर दिनांक 20.02.2007 को हुई चयन समिति की स्वीकृति के सीलबन्द लिफाफे को परिषद द्वारा खोले जाने का निर्णय लिया गया तथा डॉ0 सुधीर कुमार, आचार्य, जन्तु विज्ञान विभाग को कैरियर एडवान्समेंट योजना के अर्न्तगत प्रोफेसर के पद पर अर्हता की तिथि से प्रोन्नति किये जाने का निर्णय लिया गया।**
3. **जन्तु विज्ञान विभाग में शेष शिक्षक क्रमशः डॉ0 मो0 सिराजुद्दीन, डॉ0 ए0एम0 सक्सेना एवं डॉ0 अमिता कन्नौजिया को अर्हता की तिथि की गणनापरांत उक्त तिथि से आचार्य/प्रोफेसर पद नाम स्वीकृत किये जाने का निर्णय गया।परिषद द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि उपरोक्त विभागों में विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षकों की वरिष्ठता की गणना की कार्यवाही की जाय।**

विनिश्चय संख्या 13:—Infrastructure Maintenance And Utilization Policy मा0 परिषद के सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 14:—Policy for Person with Disabilities (Divyangjan) परिषद के सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 15:—विश्वविद्यालय के अतिथि गृह में सहयुक्त महाविद्यालयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों में शिक्षकों (प्राचार्य/शिक्षक) की चयन समिति कराने हेतु ट्राजिस्ट हास्टल/गेस्ट हाउस का प्रतिदिन का शुल्क निर्धारण करने संबंधी प्रस्ताव परिषद के सम्मुख विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत।

मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 16:—निम्नलिखित महाविद्यालयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्तावानुसार निर्णय लिये जाने हेतु प्रकरण परिषद के सम्मुख विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुतः—

a)	महाराणा प्रताप कालेज ऑफ मैनेजमेन्ट एण्डकॉमर्स,लखनऊ	बी0बी0ए0,बी0सी0ए0 एवं बी0 कॉम0	प्रत्येक में 60 सीट	अस्थायी सहयुक्तता सत्र 2020-21 के लिये विस्तारित किये जाने हेतु।
b)	भौनवाल स्कूल आफ एजूकेशन, नटकुर, चन्द्रावल, बिजनौर लखनऊ	बी0एड0		कार्य परिषद की बैठक दिनांक 20.02.2018 के अन्य मद सं0 02 (ब) पर लिये गये निर्णय के आलोक में अंकित शर्तो के अधीन सहयुक्तता समाप्त किये जाने हेतु।
c)	अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान,गोमती नगर, लखनऊ	बी0ए0 (पॉली, बौद्ध दर्शन एवं प्राचीन भारतीय इतिहास)	प्रत्येक में 60 सीट	स्थायी सहयुक्तता कार्य परिषद की बैठक दिनांक 19.06.2017 के अनुसार प्रभावी अर्थदण्ड सहित सत्र 2020-21 के लिए विस्तारित किये जाने हेतु।
d)	रेडियन्ट कालेज ऑफ लॉ, अमेठिया सलेमपुर, लखनऊ	विधि त्रिवर्षीय		अस्थायी सहयुक्तता सत्र 2020-21 के लिये विस्तारित किये जाने हेतु।
e)	मुमताज पी0जी0 कालेज, लखनऊ	बी0एस0सी0 पाठ्यक्रम		सहयुक्तता सत्र 2020-21 के लिये रू0 एक लाख अर्थदण्ड के साथ विस्तारित किये जाने के निर्णय पर महाविद्यालय के प्रस्तावानुसार पुनर्विचार कर अर्थ दण्ड माफ किये जाने हेतु।

कार्य परिषद द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत निर्णय लिया गयाः—

a) मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
b) प्रबन्धक, भौनवाल स्कूल आफ एजूकेशन नटकुर, चन्द्रावल, बिजनौर, लखनऊ के अनुरोध के क्रम में बी0एड पाठक्रम की सहयुक्तता कार्य परिषद की बैठक दिनांक 20.02.2018 के निर्णय के अनुपालन में रू0 एक लाख अर्थदण्ड के साथ समाप्त किये जाने का निर्णय लिया गया।
c) परिषद द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय बौद्व शोध संस्थान गोमती नगर लखनऊ में पॉली एंव बुद्दिस्ट स्टडीज (पॉली, बौद्व दर्शन एंव प्राचीन भारतीय इतिहास व पुरातत्व विषयों) पाठ्यक्रम को सत्र 2020-21 के लिए रूपया एक लाख अर्थ दण्ड के साथ विस्तारित किये जाने का निर्णय लिया गया।
d) मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
e) मा0 कार्य परिषद के पूर्व निर्णय को यथावत रखते हुए अर्थ दण्ड माफ करने का प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

विनिश्चय संख्या 17:—उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बी0एड0 पाठ्यक्रम के अतिरिक्त नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थाओं में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रम को प्रारम्भ करने हेतु (आगामी शिक्षा सत्र के लिये) सम्बद्धता प्रस्तावों के निस्तारण सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्याः-721/सत्तर-2-2020-16(165)/2012 टी.सी. दिनांक 25 सितम्बर, 2020, परिषद के सम्मुख अवलोकनार्थ प्रस्तुत।

मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य मद (04/2020)

विनिश्चय संख्या 01:—निम्नलिखित महाविद्यालयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्तावानुसार निर्णय लिये जाने हेतु प्रकरण परिषद के सम्मुख विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुतः—

a)	दिनेश्वर मिश्रा जी डिग्री कालेज लखनऊ।	बी0 ए0	420सीट	अस्थायी सहयुक्तता सत्र 2020–21 से तीन वर्ष हेतु।
b)	पं0 मदन मोहन मालवीय गर्ल्स डिग्री कालेज लखनऊ।	बी0 ए0	——	स्थायी सहयुक्तता सत्र 2020–21 से

मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 02:—एस0एम0टी0 गर्ल्स डिग्री कालेज में सहशिक्षा एवं महाविद्यालय का नाम एस0एम0टी0 गर्ल्स डिग्री कालेज के स्थान पर एस0एम0टी0 डिग्री कालेज करने हेतु प्रकरण परिषद के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत।

मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 03:— अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सदन के समक्ष प्रस्तुत प्रस्तावों पर सदन द्वारा सर्वसम्मति से निम्नवत् निर्णय लिये गयें:—

1. कोविड के वर्तमान स्थिति को देखते हुये नयी नियुक्ति होने तक डॉ0 बी0बी0 मिश्रा, सेवानिवृत्त रेजीडेन्ट मेडिकल आफिसर, डिस्पेन्सरी, लखनऊ विश्वविद्यालय को शासकीय नियमों के आलोक में वित्त समिति के अनुमोदनोपरान्त अग्रिम आदेशों तक रू0 70,000/—प्रतिमाह तक की सीमा के अधीन नियत मानदेय पर कार्य लिये जाने का निर्णय लिया गया।
2. सदन के समक्ष श्री शोभित शुक्ला, शोध छात्र, कम्प्यूटर विज्ञान विभाग से सम्बन्धित प्रकरण पर गठित त्रिसदस्यीय समिति की जॉच आख्या/रिपोर्ट का सील बन्द लिफाफा खोला गया। प्रकरण पर समिति द्वारा छात्र हित के दृष्टिगत रखते हुए श्री शोभित की पीएच0डी0 मौखिक परीक्षा कराये जाने की संस्तुति की गयी है।

   समिति की आख्या/रिपोर्ट के सभी बिन्दुओं पर सदन द्वारा व्यापक विचार–विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि शोध अनुभाग द्वारा समस्त तथ्यों का परीक्षण कर कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी
3. मा0 सदस्य श्री अनिल सिंह द्वारा डॉ0 पुनीत मिश्रा, कम्प्यूटर विज्ञान विभाग की प्रोन्नति के संबंध में उठाये गये प्रकरण पर चर्चा हुई।

तत्पश्चात कुलपति/अध्यक्ष द्वारा समस्त सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक समाप्ति की घोषणा की गयी।

डॉ0 विनोद कुमार सिंह
कुलसचिव/सचिव

प्रो0 आलोक कुमार राय
कुलपति/अध्यक्ष